

दिल्ली संस्कृत अकादमी

(राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)  
प्लॉट नं. 5, झण्डेवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005  
दूरभाष : 011-23635592, 2355676, 23681835



Delhi Sanskrit Academy

(Govt. Of NCT of Delhi)  
Plot No. 5, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi, 110005  
Phone : 011-23635592, 2355676, 23681835

एफ 3(19) दि.सं.अ/2019-20

दिनांक.....

सेवा में,

बुक पोस्ट

.....  
.....  
.....  
.....

विषय:- अखिल भारतीय संस्कृत पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना वर्ष 2019-2020 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत विद्वानों एवं लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय संस्कृत पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना के अन्तर्गत पाण्डुलिपियाँ आमंत्रित कर रही है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप या आपकी संस्था से जुड़े संस्कृतज्ञों को इस योजना की सूचना प्रदान करने का कष्ट करें। आप आवेदन पत्र एवं घोषणा-पत्र सहित पाण्डुलिपि अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2020 तक अकादमी कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्न :- नियमावली, आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र

भवदीय

( डॉ. जौतराम भट्ट )

सचिव



अखिल भारतीय संस्कृत पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना वर्ष 2019-20

नियमावली

1. प्रकाशन के सहयोग के लिए केवल संस्कृत भाषा में लिखी पाण्डुलिपियों पर ही विचार किया जायेगा। यदि पाण्डुलिपि संस्कृत के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद सहित प्रस्तुत की जाती है तो उस पर भी विचार किया जायेगा।
2. केवल भारतवर्ष के लेखकों की पाण्डुलिपि पर ही विचार किया जायेगा।
3. अकादमी द्वारा एक बार सहयोग राशि हेतु अस्वीकृत पाण्डुलिपि पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
4. अकादमी की प्रकाशन सहयोगार्थ पाण्डुलिपि पहले प्रकाशित न हुई हो।
5. पाण्डुलिपि की एक प्रति स्वच्छ टाईप की हुई या पढ़ने योग्य हस्तलिखित रूप में अकादमी कार्यालय में जमा करायानी होगी। अपठनीय पाण्डुलिपि पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।
6. अकादमी के कार्यालय में जमा करायी जाने वाली पाण्डुलिपि की मूल या एक अन्य अतिरिक्त प्रति लेखक के पास रहनी अनिवार्य है, क्योंकि जमा कराई गई पाण्डुलिपि अकादमी के अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी।
7. पाण्डुलिपि संस्कृत भाषा में और साहित्य से सम्बन्धित किसी भी विधा या विषय की हो सकती है। एक बार जमा करने के उपरान्त पाण्डुलिपि की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. अप्रकाशित पाण्डुलिपि की पृष्ठ संख्या कम से कम 50 होनी अनिवार्य है।
9. सभी प्राप्त पाण्डुलिपियों पर इस सम्बन्ध में गठित अकादमी के निर्णायक मण्डल द्वारा जांच करके निर्णय लिया जायेगा। निर्णायक मण्डल द्वारा अनुमोदित पाण्डुलिपियों के लिए ही प्रकाशन सहयोग राशि दी जायेगी। अकादमी का निर्णय सर्वमान्य तथा सब प्रकार के विवाद से मुक्त होगा।
10. यदि प्रकाशित पुस्तक की सामग्री पाण्डुलिपि की सामग्री से भिन्न होगी तो उस स्थिति में लेखक को सहयोग की गई सम्पूर्ण राशि अकादमी को लौटानी होगी।
11. रचनाकार को पुस्तक के मूलपृष्ठ (टाइटल पृष्ठ) तथा मूल आवरण (टाइटल कवर) पर मोटे अक्षरों में दिल्ली संस्कृत अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित अवश्य मुद्रित कराना होगा और इसका उल्लेख पुस्तक के प्रकाशक द्वारा अपने प्रकाशन में भी कराना होगा।
12. स्वीकृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ अकादमी के निर्णय और नियम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि दी जायेगी, जिसके बदले में 20 प्रतिशत डिस्काउंट काटकर सहयोग राशि के बराबर मूल्य की पुस्तकें लेखक को पुस्तक प्रकाश के 15 दिन की अवधि में अकादमी को देनी होगी।
13. यदि कोई लेखक निर्णय की प्रतीक्षा न करके अपनी पाण्डुलिपि पहले ही वापस लेना चाहता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा।
14. लेखक को यदि अकादमी द्वारा सहयोग राशि प्रदान की जाती है तो उसे सहयोग राशि प्राप्त करने के तीन मास की अवधि में पुस्तक प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा लेखक अथवा उसके वारिस को सहयोग राशि उक्त अवधि के समाप्त होते ही एकमुश्त अकादमी में जमा करानी होगी।
15. संस्कृत की उत्कृष्ट एवं पुरातन पाण्डुलिपि को अकादमी अपने स्तर पर भी प्रकाशित कर सकती है।
16. आवेदन-पत्र एवं घोषणा-पत्र पाण्डुलिपि की एक प्रति के साथ दिनांक 31.01.2020 तक निश्चित रूप से सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।
17. सहयोग राशि का निर्धारण प्रकाशित पुस्तक की पृष्ठ संख्या पर किया जायेगा, जो निम्नलिखित है :-  

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| (क) पृष्ठ 30 से 70    | रु. 5,000/-  |
| (ख) पृष्ठ 71 से 100   | रु. 10,000/- |
| (ग) पृष्ठ 101 से 200  | रु. 15,000/- |
| (घ) पृष्ठ 201 से अधिक | रु. 20,000/- |
18. प्रकाशित पुस्तक का आकार 23x36x16 होना आवश्यक है।

नोट:- (क) प्रकाशित पाण्डुलिपि पुस्तक की प्रतियाँ अकादमी कार्यालय में स्वयं पहुँचाना आवश्यक होगा। अन्य माध्यम रेल अथवा ट्रॉसपोर्ट से भेजी गयी प्रतियाँ प्राप्त करने की जिम्मेदारी अकादमी की नहीं होगी।

(ख) प्रकाशित पाण्डुलिपि की एक प्रति जो पाण्डुलिपि की सहयोग राशि निर्धारण हेतु अकादमी में भेजी जायेगी, वह अतिरिक्त प्रति होगी और उसकी गिनती नहीं होगी।



अखिल भारतीय संस्कृत पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना वर्ष 2019-20

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. आवेदन में दर्शाए गए तथ्य सर्वथा सत्य हैं।
2. इस रचना का इससे पूर्व कभी प्रकाशन हुआ है। (हाँ/नहीं)..... प्रकाशन वर्ष.....
3. (क) यह रचना मेरी मौलिक कृति है।  
(ख) पाण्डुलिपि श्री/श्रीमती/कुमारी:-.....की मौलिक कृति है।
4. मैंने यह सम्पूर्ण रचना या इसका कोई अंश किसी अन्य लेखक द्वारा रचित प्रकाशित पुस्तक में से नहीं लिया है।
5. अनूदित रचना (यदि है) तो रचना के मूल रचनाकार से तथा उसके प्रकाशन से उसका अनुवाद कर प्रकाशित करने का अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया है जिसकी प्रमाणित - प्रति संलग्न है। इस सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित रचनाकार अथवा उसके प्रकाशक द्वारा कोई विवाद न्यायालय आदि में उठाया जाता है तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी तथा अकादमी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
6. प्रस्तुत रचना सर्वथा विवाद मुक्त है।
7. रचना के प्रकाशन हेतु अकादमी के निर्णायक मण्डल का निर्णय मुझे मान्य होगा। जिसके लिये मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करूँगा/करूँगी।
8. यदि मेरी रचना अकादमी द्वारा स्वीकार की जाती है और अकादमी मुझे सहायता उपलब्ध कराती है तो मैं अकादमी की प्रकाशन सहायता के रूप में अग्रिम राशि प्राप्त करने के तीन मास की अवधि में प्रकाशन कराकर कुल सहयोग राशि के बदले पुस्तक के मूल्य का 20 प्रतिशत डिस्काउन्ट काट कर कुल सहयोग राशि के बराबर मूल्य की पुस्तकें अकादमी को, प्रदत्त सहयोग राशि के समायोजन के रूप में अकादमी में जमा कर दूँगा/दूँगी। यदि मेरे द्वारा उक्त प्रकाशन तीन मास की अवधि में नहीं किया जाता है तो अकादमी द्वारा सहायता स्वरूप दी गई राशि एकमुश्त तुरन्त अकादमी को लौटा दूँगा/दूँगी। (इस प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।)
9. अकादमी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति/नियम मुझे सर्वथा मान्य होंगे।

दिनांक:-

( आवेदक के हस्ताक्षर )

नोट:- इस घोषणा-पत्र को 10 रुपये के नॉन जुडीशियल पेपर पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अथवा नोटरी पब्लिक से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर आवेदन-पत्र एवं पाण्डुलिपि के साथ अकादमी कार्यालय में दिनांक 31.01.2020 तक भेजने का कष्ट करें।



अखिल भारतीय संस्कृत पाण्डुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना वर्ष 2019-20

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का पूरा नाम: -(श्री/श्रीमती/कुमारी).....
2. पिता/पति का नाम:-.....
3. वर्तमान आवास का पता:-.....  
.....पिन कोड:-.....
4. स्थायी आवास का पता:-.....  
.....पिन कोड:-.....
5. दूरभाष संख्या:-.....मोबाइल नं:-.....
6. ई.मेल:-.....
7. जन्म तिथि (शब्दों तथा अंको में):-.....
8. योग्यता:-.....  
(क) विश्वविद्यालय का नाम:-.....  
(ख) वर्ष:-.....(ग) श्रेणी:-.....
9. पदनाम तथा संस्था का नाम जहाँ अध्यापक/अध्येता के रूप में कार्य कर रहे हैं/ अनुसंधान कर्ता के रूप में कार्य किया है:-.....
10. यदि अध्यापन कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य सेवा में है तो उसका पूर्ण विवरण:-.....
11. प्रस्तुत पाण्डुलिपि का विषय:-.....
12. प्रस्तुत पाण्डुलिपि की विषयवस्तु संक्षिप्त रूप में स्वच्छ अक्षरों में लिखित/टंकित संलग्न करें। (हाँ/नहीं):-.....
13. आवेदन कर्ता की वार्षिक आय (प्रमाण-पत्र संलग्न करें):-.....
14. रचना का नाम:-.....
15. क्या प्रस्तुत पाण्डुलिपि/रचना आवेदक की मूल कृति है।(हाँ/नहीं).....यदि नहीं तो  
(क) रचनाकार का नाम:-.....  
(ख) क्या रचनाकार जीवित है:-.....  
(ग) रचनाकार का आवेदक से सम्बन्ध:-.....  
(घ) प्रकाशन का उद्देश्य:-.....
16. क्या रचना का इससे पूर्व कभी प्रकाशन हुआ है यदि हाँ तो प्रकाशन वर्ष तथा प्रकाशक का नाम तथा विवरण:-.....
17. प्रकाशक का नाम एवं पता (जिनसे पुस्तक प्रकाशित करानी प्रस्तावित है):-.....
18. क्या पाण्डुलिपि किसी शैक्षणिक अथवा परीक्षण संस्थान का एम.फिल. पी.एच.डी. आदि अथवा तत्समकक्ष उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है/ की जानी है (यदि हाँ तो पूरा विवरण दें):-.....

(आवेदक के हस्ताक्षर)